


16.07.2024:- पत्रावली पेशी में ली गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया की वकील प्रार्थी उपस्थित नहीं आये। प्रार्थी व प्रार्थी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई।- अवाज लगाने के उपरान्त भी अंसालतन/वकालतन उपस्थित नहीं आये। प्रार्थी व प्रार्थी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण वाद पत्र प्रार्थी अदम पैरवी/अदम हाजरी के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।


सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

